राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः 4(15)शिक्षा–1/मॉ.स्कूल 2017 पार्ट

जयपुर, दिनांकः 17.6.2021

राज्य परियोजना निदेशक,
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,
जयपुर।

विषयः– स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में प्रवेश हेतु पूर्व में जारी प्रवेश नीति में संशोधन बाबत्।

प्रसंगः– पत्रांकःरा.स्कूल शि.प./जय/मॉडल स्कूल/संस्थापन/ई.सी.जी.सी./75039–II/19872 दिनांक 02.3.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में कक्षा–6, 9, व 11 में प्रवेश में जारी प्रवेश नीति में संबंधित ब्लॉक के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है, के स्थान पर प्रवेश नीति में "संबंधित ब्लॉक के विद्यार्थियों के स्थान पर सर्वप्रथम संबंधित ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्राथमिकता से प्रवेश देने एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के पश्चात कक्षाओं में सीट रिक्त रहने पर ही शहरी परिक्षेत्र के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जावे", संशोधित किया जाता है।

भवदीय,

17.06.2021

(भारतेन्द्र जैन)
शासन उप सचिव,प्रथम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक,माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. रक्षित पत्रावली।

17.6.21

(डॉ. रणवीर सिंह)
विशेषाधिकारी–शिक्षा